

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारिीन अधिकाऱी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक शीडर/2025/ 8140

दिनांक - 03.09.25

प्राथी
1 अर्जुनकुमार पुत्र
विरधीचन्द जाति नाई,
निवासी बाडमेर आगोर हाल
कल्याणपुरा मार्ग नंबर 02
माणक हॉस्पिटल के पास,
बाडमेर।

बनाम

अप्राथीगण

1 लालू पुत्र विरधा वगैराह जाति
नाई, निवासी बाडमेर आगोर हाल
कल्याणपुरा मार्ग नंबर 02 माणक
हॉस्पिटल के पास, बाडमेर।

प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 124/2025

दिनांक- 29/08/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व
जिला बाडमेर के खसरा संख्या 4447/4221 रकबा 0.0486 हैक्टयर, खसरा संख्या
4452/4221 रकबा 0.8254 हैक्टयर, खसरा संख्या 4460/1064 रकबा 1.9768
हैक्टयर, खसरा संख्या 4467/1060 रकबा 0.7851 हैक्टयर, भूमि के चारो तरफ पक्के
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीशनर नियुक्त
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्राथी व अप्राथीगण को
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल
पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक
04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर
शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो
प्राथी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी,
बाडमेर

दिनांक-

03.09.25

क्रमांक :- शीडर/2025/ 8141-44
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्राथी अर्जुनकुमार पुत्र विरधीचन्द जाति नाई, निवासी बाडमेर आगोर हाल कल्याणपुरा मार्ग नंबर 02 माणक हॉस्पिटल के पास, बाडमेर।
4. विप्राथीगण लालू पुत्र विरधा वगैराह जाति नाई, निवासी बाडमेर आगोर हाल कल्याणपुरा मार्ग नंबर 02 माणक हॉस्पिटल के पास, बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी,
बाडमेर